

प्रेस नोट दिनांक 30-10-2020

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ किया गया गिरफ्तार, कब्जे से मोटर साइकिल व अवैध

असलहा/कारतूस बरामद:-

अवगत कराना हैं, कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30-10-2020 को समय 11:30 बजे थाना सरसावा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर रेलवे फाटक के पास, चिलकाना रोड़ शहाजहांपुर से 02 शातिर अभियुक्त क्रमशः 1-जीशान उर्फ चीनी पुत्र अख्तर कुरैशी 2-इकराम उर्फ गाम्मा पुत्र जफर तेली निवासीगण ग्राम दुमझेड़ा थाना चिलकाना, सहारनपुर को बाद 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, 01 नाजायज चाकू व 01 स्पलेण्डर प्लस मोटर साइकिल नं0 एचआर 01 टी-9065 (फर्जी नम्बर) सहित बाद पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बरामदा मोटर साइकिल को रेलवे स्टेशन यमुनानगर के पास से एक व्यक्ति से सस्ते दामों में खरीदना बताया है तथा बताया कि उक्त मोटर साइकिल की नम्बर प्लेट बदलकर नशे व गौकशी जैसे अपराध कारित करते हैं। आज गिरफ्तार अभियुक्त लूट की घटना कारित करने के लिये आये थे, कि पुलिस द्वारा पकड़े गये। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 394/2020 धारा 307 भादवि, मु0अ0सं0 395/2020 धारा 414/465 भादवि, मु0अ0सं0 396/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 397/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम व पता:-

- 1-जीशान उर्फ चीनी पुत्र अख्तर कुरैशी निवासी ग्राम दुमझेड़ा थाना चिलकाना, सहारनपुर।
- 2-इकराम उर्फ गाम्मा पुत्र जफर तेली निवासी ग्राम दुमझेड़ा थाना चिलकाना, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 1- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस।
- 2- 01 नाजायज चाकू।
- 3- 01 स्पलेण्डर प्लस मोटर साइकिल नं0 एचआर 01 टी-9065 (फर्जी नम्बर)।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0सं0 139/17 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट 11डीई, 3 पशु अतिचार अधि0 व 420 भादवि थाना चिलकाना, सहारनपुर।
- 2-मु0अ0सं0 180/17 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना, सहारनपुर।
- 3-मु0अ0सं0 66/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना, सहारनपुर।
- 4-मु0अ0सं0 95/12 धारा 4बी सीएस एक्ट व 279/336 भादवि थाना बुड़िया, यमुनानगर हरियाणा।
- 5-मु0अ0सं0 102/13 धारा 4बी सीएस एक्ट थाना बुड़िया, यमुनानगर हरियाणा।
- 6-मु0अ0सं0 104/15 धारा 174ए भादवि थाना बुड़िया, यमुनानगर हरियाणा।
- 7-मु0अ0सं0 107/15 धारा 174ए भादवि थाना बुड़िया, यमुनानगर हरियाणा।
- 8-मु0अ0सं0 33/09 धारा 4बी सीएस एक्ट थाना सदर, यमुनानगर हरियाणा।
- 9-मु0अ0सं0 123/12 धारा 4बी सीएस एक्ट व 279/336/473 भादवि थाना सदर, यमुनानगर हरियाणा।
- 10-मु0अ0सं0 203/15 धारा 174ए भादवि थाना सदर, यमुनानगर हरियाणा।
- 11-मु0अ0सं0 205/15 धारा 174ए भादवि थाना सदर, यमुनानगर हरियाणा।
- 12-मु0अ0सं0 236/16 धारा 13(2) सीएस एक्ट व 307/429/279/34 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट थाना सदर, यमुनानगर हरियाणा।
- 13-मु0अ0सं0 394/2020 धारा 307 भादवि थाना सरसावा, सहारनपुर।
- 14-मु0अ0सं0 395/2020 धारा 414/465 भादवि थाना सरसावा, सहारनपुर।
- 15-मु0अ0सं0 396/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा, सहारनपुर।
- 16-मु0अ0सं0 397/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा, सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- 1-श्री प्रवीण कुमार, थानाध्यक्ष सरसावा, सहारनपुर।
- 2-उ0नि0 श्री राजकुमार यादव, थाना सरसावा, सहारनपुर।
- 3-उ0नि0 श्री दिनेश कुमार, थाना सरसावा, सहारनपुर।
- 4-का0 802 सौरव धामा, थाना सरसावा, सहारनपुर।
- 5-का0 1535 रोहित कुमार, थाना सरसावा, सहारनपुर।
- 6-का0 326 मुकेश कुमार, थाना सरसावा, सहारनपुर।
- 7-का0 115 बालेन्द्र कुमार, थाना सरसावा, सहारनपुर।

-:प्रेस विज्ञप्ति:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में मॉनेटरिंग सैल की सशक्त पैरवी के चलते पोक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 सहारनपुर द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा:-

अवगत कराना है कि दिनांक 07.04.2016 को थाना रामपुर मनिहारान पर अभियुक्त हर्ष उर्फ चकरेश पुत्र प्रकाशा नि0 ग्राम छिदबना थाना रामपुर मनिहारन, सहारनपुर के विरुद्ध मु0अ0सं0 191/2016 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 79/16 पर माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-13 सहारनपुर में विचाराधीन था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत मॉनेटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के कारण मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-13, सहारनपुर द्वारा दिनांक 30-10-2020 को अभियुक्त हर्ष उर्फ चकरेश पुत्र प्रकाशा को मु0अ0सं0 191/2016 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

-प्रेस विज्ञप्ति:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-09 सहारनपुर द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 31 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा: -

अवगत कराना है कि दिनांक 04.06.2018 को वादी प्रदीप पुत्र तरजपाल सिंह नि0 ग्राम रणखण्डी थाना देवबन्द, जनपद सहारनपुर के द्वारा अभियुक्तगण 1-देवेन्द्र पुत्र जगदीश नि0 ग्राम रणखण्डी थाना देवबन्द, सहारनपुर व 2-सुभाष पुत्र हरपाल नि0 ग्राम रणखण्डी थाना देवबन्द, सहारनपुर ने वादी के पिता तरजपाल उम्र 50 वर्ष की हत्या कर शव को छिपाने की सूचना पर मु0अ0सं0 467/2018 धारा 302,34,201,506 भादवि में थाना देवबन्द पर पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 598/18 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-09 स0पुर में विचाराधीन था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मॉनेटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के कारण माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-09 स0पुर द्वारा दिनांक 30.10.2020 को अभियुक्तगण देवेन्द्र पुत्र जगदीश व सुभाष पुत्र हरपाल को मु0अ0सं0 467/2018 धारा 302,34,201,506 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 31 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।